न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 69/2019

1. बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा। :—**वादी**

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र पतराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुनील पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. कृष्णा पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवासी रामसरा त0 भादरा।
4. भतेरी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवासी रामसरा त0 भादरा।
5. मूर्ति पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा हाल निवासी रामसरा त0 भादरा।
6. आईसीआईसीआई बैक जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बंशीलाल शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 220/203 के खसरा सं0 409 की 2.7830है0 खसरा सं0 420 की 2.1380है0 खसरा सं0 468 की 0.3160है0 खसरा सं0 469 की 1.4670है0 कुल 6.7040है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के ही खाता सं0 248/260 के खसरा सं0 225 की 5.5660है0 खसरा सं0 297 की 5.4140है. खसरा सं0 324 की 7.1600है0 खसरा स0 707 की 4.1490है0 कुल 22.2890है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 बंशीलाल, प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर व प्रतिवादी सं0 2 सुनील को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:23 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.3.2 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 201/2020

1. सुरेन्द्र पुत्र मोहरसिंह जाति नाई निवारी मालकस त0 भादरा। :–वादी

ब ना म

1. मोहरसिंह पुत्र चुनीराम जाति नाई निवारी मालकस त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र मोहरसिंह जाति नाई निवासी मालकस त0 भादरा।
3. भंवरी देवी पत्नी श्रवण जाति नाई निवारी मालकस हाल निवासी वनड़ा त0 तारानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हंनुमानगढ।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री वंशीलाल शर्मा: वादी
वकील श्री राममूर्ति ताखर : प्रतिवादीगण

दिनांक : 10-3-21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मालकस के खाता सं0 160/149 के खसरा सं0 64 की 0.5440है0 खसरा सं0 65 की 4.6410है0 खसरा सं0 116 की 1.1000है0 खसरा सं0 144 की 2.5420है0 खसरा सं0 146 की 4.4260है0 खसरा सं0 161 की 10.7240है0 खसरा सं0 258 की 0.5560है0 खसरा सं0 362/146 की 0.0510है0 कुल 24.5840है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1/4 हिस्स राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा चुनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। चुनीराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिंए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत हैं।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा दावा की सभी मद संख्यों को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ ईकबाल दावा [illegible] पेश किया गया। प्रतिवादीगण पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की [illegible] पेश किये जाने पर तनकी [illegible] आवश्यकता नही है। अतः द्वारा ईकबाल दावा पेश किये जाने पर तनकी [illegible] पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुरेन्द्र पुत्र मोहरसिंह जाति नाई निवासी मालकस के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 विरासतन ईतंकाल प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 3 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उपरांत सुनी गई। जिसमें बहस वकील वादी ने वाद के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मालकसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो दस्तावेजात वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 विरासतन इंतकाल प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2074-77 प्रदर्श 3 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 2 ता 4 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 में वारिस प्रमाण के अनुसार मोहरसिंह के दो पुत्र सुरेन्द्र, बलवीर व एक पुत्री भंवरी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं दर्ज अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 भंवरी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 ता 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकसर के खाता सं0 160/149 के खसरा सं0 64 की 0.5440है0 खसरा सं0 65 की 4.6410है0 खसरा सं0 116 की 1.1000है0 खसरा सं0 144 की 2.5420है0 खसरा सं0 146 की 4.4260है0 खसरा सं0 161 की 10.7240है0 खसरा सं0 258 की 0.5560है0 खसरा सं0 362/146 की 0.0510है0 कुल 24.5840है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादीया स0 03 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 सुरेन्द्र प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 बलवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner